and cultural institutions, including learning of each others' language.

(d) The information is being furnished through circulars and is widely advertised in the newspapers.

(e) Does not arise, in the light of (d).

Staff Quarters of Delhi University

3760. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that much of the Rs. six crore provided to the Delhi University for development of staff quarters has not been utilised for the past twelve years;

(b) if so, when were the funds made available to the Delhi University for the development of staff quarters and the reasons for the University not utilising the money; and

(c) the action Government propose to take to ensure that Delhi University immediately takes up the development of quarters for the University staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATON IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA):(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

निजी स्कूलों द्वारा भारी मात्रा में दान (डोनेशन) वसूल किया जाना

3761. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा प्रवेशों के संबंध में भारी मात्रा में दान (डोनेशन) वसूल किए जाने और अभिभावकों के साक्षात्कार जैसी अनावश्यक शर्तों पर रोक लगाने के लिये कोई व्यवस्था की है अथवा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकार की 'सबको शिक्षा मिले' नीति का उद्देश्य पूरा हो सके सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसके सम्बद्धन उप नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो दाखिला लेते समय अथवा दाखिला के पश्चात् किसी स्कल को डोनेशन लेने की अनुमति प्रदान करता हो। सामान्य तौर पर स्कूल-पूर्व स्तर अर्थात् पहली कक्षा अथवा नर्सरी/के०जी०/प्रारंभिक (प्रेप) स्तर पर दाखिला करते समय बच्चे के भावनात्मक, भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक गुणों का कुछ मूल्यांकन करने के लिए दाखिला हेतु अभिभावकों का साक्षात्कार किया जाता है। इस दृष्टिकोण से बच्चे का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए अभिभावकों का मामूली सा साक्षात्कार लिया जाता है। ऐसे साक्षात्कारों का उद्देश्य अन्य असंगत विचार अथवा प्रयोजनार्थ नहीं होना चाहिए। किसी कक्षा के बाद के स्तरों पर साक्षात्कारों का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वह उद्देश्य है बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लक्षणों का अधिकाधिक व्यावहारिक मूल्यांकन।

(ख) चूंकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्धन उपनियम दाखिला देते समय अभिभावकों से डोनेशन वसूल करने अथवा उनसे साक्षात्कार लेने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, अतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

केन्द्रीय विद्यालय के शुल्कों में एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता

3762. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ऊपर अर्थात् कक्षा छठी से बारहवीं तक लिये जा रहे मासिक ट्यूशन शुल्क में विषमता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन कक्षाओं के लिये मासिक ट्यूशन शुल्क की कक्षा-वार दर क्या है;

(ख) क्या सरकार विद्यार्थियों, विशेषकर निजी संस्थाओं/राजनीतिक कार्यालयों में कार्यरत मध्य तथा निम्न मध्य वर्गीय अभिभावकों के बच्चों, जिनको संसद सदस्यों की अनुशंसा पर प्रवेश मिला है, के हित में शुल्क में ऐसी विषमता को समाप्त करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के किसी छात्र अथवा उच्चतर कक्षाओं की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों/छात्राओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों से भिन्न-भिन्न दर से शिक्षण शुल्क लिया जाता है जो उनके माता-पिता की आय के आधार पर होता है जैसा नीचे दिया गया है। इससे विद्यालयों के आन्तरिक संसाधन जुटाने में सहायता मिलती है।

कक्षा	2000 रुपये तक वेतन	2000 रुपये से अधिक वेतन
9 और 10	15/-	25/-
11 और 12	20/-	30/-

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष को सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर, शुल्क संशोधन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया है।

गया जंक्शन से नई दिल्ली के लिए अलग रेलगाड़ी

3763. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गया जंक्शन से नई दिल्ली के लिए कोई अलग रेलगाड़ी नहीं है जिसके कारण नालन्दा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और अन्य निकटवर्ती जिलों के यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयां पेश आ रही हैं;

(ख) क्या यात्रियों की सुविधा के लिये गया जंक्शन से नई दिल्ली के लिये कोई अलग से रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्पाल महाराज): (क) से (ग) गया और दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 6 जोड़ी गाड़ियों से जुड़े हुए हैं। गया और दिल्ली के बीच नई गाड़ी चलाने की जांच की गई थी, परन्तु संसाधनों की तंगी के अलावा गया और दिल्ली दोनों स्टेशनों पर परिचालनिक कठिनाइयों तथा टर्मिनल/अनुरक्षण कठिनाइयों के कारण व्यवहारिक नहीं पाया गया।

Doubling of Delhi-Moradabad-Lacknow rail track

3764. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to lay double line on Delhi-Moradabad-Ramnagar and Delhi-Moradabad-Lucknow route;

(b) if so, by when and if not, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that the goods and passenger trains run late for many hours due to the single rail line and it causes unnecessary delay in transportation of goods; and

(d) if so, whether Government propose to make special provisions in the budget for conversion of these lines during the next three years so that the trains may run smoothly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (d) On Delhi-Moradabad-Lucknow route, double line already exists between Lucknow and Moradabad and multiple lines already exist between Delhi and Ghaziabad. Between Ghaziabad and Moradabad, the justification for doubling has been accepted and in the first phase work has been taken up between Ghaziabad and Hapur. The remaining work would be taken up in the coming years. As regards Delhi-Ramnagar-Moradabad route, the position has been explained above as far as Delhi-Moradabad section is concerned. Between Moradabad and Ramnagar the level of traffic is quite low and it does not warrant provision of double line at present.